उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2010

विषयः-वन विभाग के अनुदान सं0-27 की आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0-1270/3-3 दिनांक 30.01.2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए गए हैं :-

1. आयोजनागत व आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-24, 25 व 29 साख-सीमा प्रणाली से आहरित किया जाय।
2. आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-42-अन्य व्यय (केवल लीसा निष्कर्षण सम्बन्धी) का आहरण साख-सीमा प्रणाली से किया जाय।
3. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद सं0-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र तथा 42-अन्य व्यय(लीसा निष्कर्षण के अतिरिक्त) को वित्त विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित कोषागार प्रणाली से ही आहरित किया जाय।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-327(P)/XXVII(4)/2009, दिनांक 27 मार्च, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

संख्या- ब-06(1)/X-2-2010, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

पंजी.सं... 6057
पत्रावली सं.. 3-2